न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या-1, झुन्झुनू (_राज.)

पीठासीन अधिकारीः- विनोद कुमार बागड़ी, आर.जे.एस.
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

दीवानी विविध प्रकरण संख्या-03/21 (CIS 36/21)
CNR NO. RJJH010018022021

1. जगदीश (मृतक)
   1/1 मांगीलाल पुत्र स्व. जगदीश,
   1/2 सतलाल पुत्र स्व. जगदीश,
   1/3 बाबूलाल पुत्र स्व. जगदीश,

2. वासुदेव-मृतक
   2/1 छगनलाल- मृतक
   2/2 मंजू देवी (पत्नी)
   2/3 कृष्ण पुत्र छगनलाल
   2/4 लक्ष्मी पुत्री छगनलाल
   2/5 पिन्टु पुत्र वासुदेव

समस्त निवासीगण मोहल्ला नागरपुरा, नवलगढ़, तहसील नवलगढ़, जिला झुन्झुनू।
- प्रार्थीगण/वादीगण।

बनाम

1. शारदा देवी पत्नी जुगल किशोर, निवासी वार्ड नंबर-13 नवलगढ़, तहसील नवलगढ़, जिला झुन्झुनू।
2. प्रधानाध्यापक रा.प्रा.वि. नागरपुरा, वार्ड नंबर-1 जरिये राजेन्द्र कुमार
3. उप जिला शिक्षा अधिकारी, नवलगढ़, तहसील नवलगढ़।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, झुन्झुनू।
5. राजस्थान सरकार जरिए जिलाधीश, झुन्झुनू।

- अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 04 सपठित धारा 151
सिविल प्रक्रिया संहिता

उपस्थितः-

1. श्री सुभाष पूनियां, विद्वान अधिवक्ता वास्ते प्रार्थीगण।
2. श्री नंद किशोर, विद्वान अधिवक्ता वास्ते अप्रार्थी संख्या-2 लगायत 5।
3. अप्रार्थी संख्या-1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

आदेश **दिनांक 24.07.2026**

1. प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 04 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता दिनांक 22.09.2021 को न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थीगण के पूर्वज स्व. बैजनाथ को आवासीय भूमि का पट्टा नागरमल घसीधरका ने आवास हेतु दान में करीब 75 वर्ष पूर्व प्रदान किया था तब से लेकर पूर्व में प्रार्थीगण के पूर्वजों एवं वर्तमान प्रार्थीगण का कब्जा चला आ रहा है तथा उपयोग-उपभोग में ली जा रही है। प्रार्थीगण के भूखण्ड के पश्चिम दिशा में एक प्राथमिक स्कूल का भूखण्ड

अवस्थित था, जिसमें दो कमरे बने हुए थे, जिसमें उक्त स्कूल संचालित हो रहा थ और वर्तमान में काफी समय से बंद है। प्रार्थी के पूर्वज जगदीश व वासुदेव ने प्रतिवादी संख्या-1 द्वारा बिना किसी अधिकार हक एक दान पत्र कोई लंबाई-चौड़ाई दर्शित न करते हुए प्रार्थीगण की भूमि को स्कूल की भूमि में दर्शित करते हुए निष्पादित करने के कारण उक्त दानपत्र को निरस्त करवाये जाने हेतु एक वाद प्रस्तुत किया। प्रार्थी के पूर्वज वासुदेव ने बताया कि उक्त प्रतिवादी संख्या-1 व 2 संस्था के प्रधानाध्यापक ने दान को स्कूल की भूमि तक सीमित रखते हुए दुरूस्त करवाने के इकरार के आधार पर वाद का निस्तारण होना बताया एवं प्रार्थीगण के पूर्वजों को प्राप्त दान में आवासीय भूमि को यथावत रखा जावेगा। प्रार्थीगण की आवासीय भूमि दिनांक 23.08.2021 को प्रतिवादी संख्या-1 लगायत 3 के कर्मचारी आये और प्रार्थीगण को भूखण्ड खाली करने हेतु निवेदन किया। प्रार्थीगण ने विवादित भूखण्ड को दान पत्र के आधार पर मालिक बताया। प्रार्थीगण ने पूर्व अधिकारियों से इकरार दान पत्र को दुरूस्त करवाने का वायदा किये जाने के कथन से पाबंदित होना बताने से इंकार कर दिया जिस पर प्रार्थीगण ने उनके पूर्वजों द्वारा प्रस्तुत वाद के संबंध में जानकारी की। काफी खोजबीन करने पर उक्त वाद माननीय न्यायालय द्वारा अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज होना पाया गया। विवादित भूमि प्रार्थीगण के कब्जे व अधिकार की भूमि है जिसमें प्रार्थीगण के महत्वपूर्ण अधिकार निहित हैं, जिसके कारण प्रार्थीगण की अपने पूर्वजों द्वारा प्रस्तुत वाद की सुनवाई करवाकर निर्णित करवाना चाहते हैं, जिसके लिए वाद को पुनः नंबर पर लेने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। वादी की मृत्यु हो चकी है और प्रार्थीगण वादीगण के वारिसान हैं। प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार है। प्रार्थीगण को प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 23.08.2021 को विवादित भूखण्ड पर आने व उसके उपरान्त प्रार्थीगण विचाराधीन वाद के संबंध में खोजबीन किये जाने पर प्रमाणित प्रति दिनांक 25.08.2021 को प्राप्त हुई। दिनांक 25.08.2021 से प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर न्यायालय आदेश दिनांक 26.02.2006 को निरस्त कर वाद उनवानी जगदीश बनाम शारदा देवी, वाद संख्या-43/94 को पुनः नंबर पर लिया जावे।

2. अप्रार्थीगण संख्या-2 लगायत 5 की ओर से प्रार्थना पत्र का जवाब पेश करते हुए कथन किया कि विवादित भूखण्ड पर प्रार्थीगण के पूर्वजों का व वर्तमान में प्रार्थीगण का कब्जा नहीं है। भूमि पर प्रतिवादी संख्या-1 द्वारा विभाग के साथ की गई गिफ्टडीड मय प्रमाणित नक्शे के अनुसार विद्यालय/विभाग का कब्जा है। प्रार्थीगण के पूर्वजों जगदीश व वासुदेव ने प्रतिवादी संख्या-1 के द्वारा निष्पादित दान पत्र को निरस्त करवाने बाबत एक वाद जिला न्यायाधीश झुन्झुनू के समक्ष पेश किया था जो दिनांक 16.12.1994 को प्रस्तुत किया था। दिनांक 23.08.2021 को प्रतिवादी संख्या-1 लगायत 3 के कर्मचारी विद्यालय भूखण्ड पर नहीं गए और प्रार्थीगण से दान पत्र दुरूस्त करवाने बाबत कोई बातचीत नहीं हुई। विद्यालय भूमि पर दिनांक 21.07.2011 को कब्जा करने का प्रयास किया गया, जिसे थानाधिकारी नवलगढ़ को पत्र लिखकर अवैध कब्जा हटावाया गया। इसके पश्चात दिनांक 20.02.2021 को पुनः विद्यालय भूखण्ड पर कब्जा करने का प्रयास किया गया, जिसको पुनः थानाधिकारी को पत्र लिखकर हटवाया गया। प्रार्थीगण ने जो पट्टा पेश किया है वह दूसरी जमीन का है जो विवादित भूखण्ड से 150 फुट की दूरी पर स्थित है। प्रार्थीगण ने गलत आधारों पर प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

3. प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थीगण को प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 23.08.2021 को विवादित भूखण्ड पर आने व उसके उपरान्त प्रार्थीगण द्वारा विचाराधीन वाद के संबंध में खोजबीन किए जाने पर प्रमाणित प्रति दिनांक 25.08.2021 को प्राप्त होने तक वाद के अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज होने की जानकारी नहीं थी। सर्वप्रथम जानकारी प्रमाणित प्रति दिनांक 25.08.2021 को प्राप्त होने पर हुई। उक्त दिवस से प्रार्थना

पत्र अन्तर्गत मियाद है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थना पत्र पेश करने में हुई देरी को माफ किया जावे।

4. बहस प्रार्थना पत्र उभय पक्ष सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण का तर्क रहा है कि प्रार्थीगण के पूर्वज स्व. बैजनाथ को आवासीय भूमि का पट्टा नागरमल घसीधरका ने आवास हेतु दान में करीब 75 वर्ष पूर्व प्रदान किया था तब से लेकर प्रार्थीगण का कब्जा चला आ रहा है व उपयोग-उपभोग किया जा रहा है। उक्त भूमि के पश्चिम दिशा में एक प्राथमिक स्कूल का भूखण्ड अवस्थित था, जिसमें दो कमरे बने हुए थे, जिसमें उक्त स्कूल संचालित हो रहा था, जो वर्तमान में काफी समय से बंद है। प्रार्थी के पूर्वज जगदीश व वासुदेव ने एक दावा दान पत्र को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया था। प्रार्थीगण को उनके पूर्वज वासुदेव ने प्रतिवादी संख्या-1 व प्रतिवादी संख्या-2 संस्था के प्रधानाध्यापक द्वारा दान को स्कूल की भूमि तक सीमित रखते हुए दुरूस्त करवाने के इकरार के आधार पर वाद का निस्तारण होना बताया है एवं यह बताया है कि प्रार्थीगण के पूर्वजों को दान में प्राप्त आवासीय भूमि को यथावत रखा जावेगा। दिनांक 23.08.2021 को प्रतिवादी संख्या-1 लगायत 3 के कर्मचारी विवादित भूखण्ड पर आकर दान पत्र का हवाला देकर दान पत्र के आधार पर स्वयं को भूखण्ड का मालिक बताया। काफी खोजबीन करने पर उक्त वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज होना पाया गया। दिनांक 25.08.2021 को विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण के आने व उसके उपरान्त प्रार्थीगण द्वारा वाद के संबंध में खोजबीन किये जाने पर प्रमाणित प्रति दिनांक 25.08.2021 को प्राप्त होने पर वाद के अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज होने की जानकारी प्राप्त हुई थी। इससे पहले प्रार्थीगण को उक्त वाद के अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज होने की जानकारी नहीं थी। दिनांक 25.08.2021 से प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिनांक 28.02.204 को निरस्त किया जाकर वाद उनवानी जगदीश बनाम शारदा व अन्य वाद संख्या-43/94 को पुनः नंबर पर लिए जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

5. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण का तर्क रहा है कि दिनांक 23.08.2021 को प्रतिवादी संख्या-1 व 3 के कर्मचारीगण द्वारा विद्यालय भूमि पर आकर प्रार्थीगण से दानपत्र दुरूस्त करने संबंधी कोई बातचीत नहीं हुई और ना ही दिनांक 23.08.2021 को विद्यालय भूमि पर कर्मचारीगण गये परन्तु दिनांक 21.07.2011 को कब्जा करने का प्रयास किया गया था, जिसे थानाधिकारी नवलगढ़ को पत्र लिखकर अवैध कब्जा हटवाया गया था। अप्रार्थीगण के पास उक्त भूमि का पट्टा नहीं है और जो पट्टा पेश किया जा रहा है वह दूसरी भूमि का पेश किया गया है जो मौके से 150 फुट दूरी पर स्थित भूमि का है, जिसमें प्रार्थीगण स्थायी निवास बनाकर आबाद हैं। दिनांक 23.08.2021 को प्रार्थीगण का विद्यालय भूमि पर आने, खोजबीन करने की जानकारी आधारहीन है एवं न्यायालय को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

6. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण के पूर्वज जगदीश व वासुदेव की ओर से माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश झुन्झुनू के समक्ष एक दावा बाबत इस्तकरार हक व मंसुखी दान पत्र 29.09.1994 एवं स्थायी निषेधाज्ञा बाबत पेश किया गया था जो कालान्तर में अंतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ था। दिनांक 26.02.2002 को वादी एवं प्रतिवादी किसी के भी उपस्थित नहीं होने पर वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया था,जिसके करीब 19 वर्ष पश्चात प्रार्थीगण द्वारा स्वयं को मूल वादी जगदीश व वासुदेव का वारिस होना बताते हुए दिनांक 22.09.2021 को आदेश 09 नियम 04 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया एवं पुनः नंबर पर लेकर सुनवाई किए जाने का निवेदन किया।

7. सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 09 नियम 04 में यह प्रावधान किया गया है ''**जहां वाद नियम 2 व 3 के अधीन खारिज कर दिया जाता है, वहां वादी नया वाद (परिसीमा विधि के अधीन रहते हुए) ला सकेगा या व उस खारिजी को अपास्त कराने के आदेश के लिए आवेदन कर सकेगा और यदि वह न्यायालय का समाधान कर देता है कि यथास्थिति (नियम 2 में निर्दिष्ट असफलता के लिए) या उसकी अनुपसंजाति के लिए पर्याप्त हैतुक था तो न्यायालय खारिजी को अपास्त करने के लिए आदेश करेगा और वाद में आगे कार्यवाही के लिए नियत करेगा।** हस्तगत प्रकरण में वाद आदेश 09 नियम 04 (3) सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत दोनों पक्षों के अनुपस्थित रहने के कारण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया है तथा आदेश 09 नियम 4 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान के तहत प्रार्थीगण को वाद खारिज करने की दिनांक 26.02.2002 को न्यायालय में अनुपसंजाति के लिए पर्याप्त हैतुक दर्शित करना आवश्यक है। प्रार्थीगण ने स्वयं को वादी जगदीश व छगनलाल का वारिस होना बताया है लेकिन जगदीश व छगनलाल की मृत्यु कब हुई, उसका उल्लेख प्रार्थना पत्र में नहीं किया है और ना ही उनकी मृत्यु के संबंध में कोई दस्तावेज पेश किया है, अपितु उनकी मृत्यु कब हुई इस तथ्य को अपने प्रार्थना पत्र में छिपाया है। जगदीश व छगनलाल के द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज होन के पश्चात आर्टिकल 122 परिसीमा अधिनियम कें विहित 30 दिन के अन्दर उक्त खारिजी को अपास्त करने के लिए आदेश 09 नियम 04 के तहत कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है परन्तु प्रार्थीगण द्वारा स्वयं को वादी जगदीश व वासुदेव का वारिस बताते हुए करीब 19 वर्ष पश्चात इस न्यायालय के समक्ष उक्त खारिजी को अपास्त करने के लिए आवेदन पेश किया है।

8. प्रार्थी की ओर से धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण के दिनांक 23.08.2021 को विद्यालय भूमि पर आने व उसके उपरान्त प्रार्थीगण को विचाराधीन वाद के संबंध में खोजबीन किए जाने पर प्रमाणित प्रति दिनांक 25.08.2021 से वाद के अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज होने की जानकारी होने पर उक्त दिनांक 25.08.2021 से 30 दिवस के अन्दर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खारिजी को अपास्त करने का निवेदन किया है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 04 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता में उल्लेखित किया है कि जो प्रार्थीगण के पूर्वज वासुदेव ने उनके द्वारा प्रस्तुत वाद के संबंध में यही बताया है कि प्रतिवादीगण द्वारा विवादित भूमि के संबंध मे निष्पदित दान पत्र को दुरूस्त करवा दिए जाने के इकरार के आधार पर वाद निर्णीत कर दिया गया, जानकारी किए जाने पर वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाना पाया गया। सर्वप्रथम वाद खारिज होने की जानकारी दिनांक 25.08.2021 को होना बताया है, जबकि प्रतिवादी संख्या-4 जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जाहिर किया गया है कि दिनांक 23.08.2021 को प्रतिवादीगण के कर्मचारी विद्यालय भूमि पर नहीं गये और ना ही भूखण्ड पर जो प्रार्थीगण से दान पत्र दुरूस्त करने संबंधी कोई बातचीत हुई परन्तु विद्यालय भूमि पर दिनांक 21.07.2011 व 20.02.201 को कब्जा करने का प्रयास करने पर अवैध कब्जे को थानाधिकारी नवलगढ़ को पत्र लिखकर हटाया गया। हस्तगत प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण द्वारा उनके पूर्वज मूल वादी वासुदेव एवं जगदीश की मृत्यु कब हुई, इस तथ्य को छिपाया गया है, उनकी मृत्यु के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है, ना ही वादीगण का वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज होने के बाद आदेश को अपास्त करने हेतु आवेदन क्यों नहीं किया गया, यह स्पष्ट नहीं किया है तथा प्रार्थीगण के पूर्वजों द्वारा प्रार्थीगण को प्रतिवादीगण द्वारा दान पत्र को दुरूस्त करवाने के इकरारनामा के आधार पर वाद को निस्तारित करने के संबंध में बताने व 25.08.2021 को वाद के अदम हाजरी अदम पैरवी में खाारिज करने की जानकारी होना बताते हुए खारिजी को अपास्त करने के लिए प्रार्थीगण द्वारा आवेदन करना बताया है। उक्त कारण खारिजी को अपास्त करने के लिए पर्याप्त हैतुक दर्शित नहीं होता है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश करने में हुई देरी को माफ किया जाना न्यायालय न्यायोचित नहीं पाता है।

9. अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 05 परिसीमा अधिनियम अस्वीकार कर खारिज किये जाने योग्य है तथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 04 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता भी मियाद बाहर होने से अस्वीकार कर खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

10. अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 05 परिसीमा अधिनियम अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 04 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता मियाद बाहर होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(विनोद कुमार बागड़ी)
अपर जिला न्यायाधीश
संख्या–1, झुन्झुनू

11. आदेश आज दिनांक 24.07.2026 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं मुद्रा खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(विनोद कुमार बागड़ी)
अपर जिला न्यायाधीश
संख्या–1, झुन्झुनू